

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

कमांक एफ 1126/192/2022/नियम/चार  
पति,

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई, 2022

प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय :- मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग-2 के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग-2 में योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अन्तर्गत प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार में निम्नानुसार में संशोधन किया जाता है:-

क्र.	विवरण	वित्तीय शक्तियों का पयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	आयोग द्वारा भोपाल, प्रदेश के अन्य स्थानों अथवा प्रदेश के बाहर आवश्यक होने पर आयोजित बैठकों के आयोजन से संबंधित खर्चों के लिये प्रावधान	नीति एवं योजना आयोग के सदस्य सचिव (विभागाध्यक्ष)	रु. 1.00 लाख	
2.	समीनार, बैठकों एवं अन्य कार्यों हेतु प्रदेश अथवा देश के आमंत्रित अधिकारियों, विशेषज्ञों की यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं तथा यात्रा भत्तों की स्वीकृति के अनुक्रम में सचिव, म.प्र.शासन स्तर के अधिकारियों को प्राप्त टी.ए./डी.ए./ठहरने की सुविधाओं की पात्रता	नीति एवं योजना आयोग के सदस्य सचिव	-	राज्य शासन के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई, 2022

1127  
पृष्ठा कमांक एफ 192/2022/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

- महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्यालियर/भोपाल ।
- आयुक्त कौष एवं लेखा मध्यप्रदेश ।

(विदेक कुमार धारू)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग